कार्यालय वन वृत्त शहडोल–484001(म.प्र.)

फोन (कार्या.–245361) (निवास–245335) (फैक्स–240189) ई–मेल–ccf.sdl@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2018/1061 शहडोल, दिनांक 07/02/2018

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध)
म.प्र. भोपाल

विषय :– **विकासखण्ड गोहपारू अन्तर्गत दियापीपर जलाशय योजना निर्माण हेतु 3.077 हे0 वनभूमि का उपयोग हेतु।**

संदर्भ :– **वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण शहडोल का पत्र क्र./मा.चि./224 दिनांक 03.02.2018.**

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शहडोल द्वारा वन संरक्षण अधिनियम के तहत विकासखण्ड गोहपारू के अन्तर्गत दियापीपर जलाशय योजना का प्रस्ताव आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है। विवरण निम्नानुसार है :–

(1) प्रस्तावित जलाशय निर्माण दक्षिण शहडोल वनमण्डल के परिक्षेत्र गोहपारू के अन्तर्गत कक्ष क्र./पी.एफ.–712 के आंशिक क्षेत्र 3.077 हे0 वनभूमि पर प्रस्तावित है।

(2) आवेदित क्षेत्र को 1:15000 के मानचित्र मे दर्शाया गया है, संलग्न है।

(3) आवेदित क्षेत्र को 1:50000 के मानचित्र मे दर्शाया गया है, संलग्न है।

(4) परियोजना के संबंध मे संक्षिप्त टीप संलग्न किया गया है।

(5) आवेदक संस्थान द्वारा अधिकारों के विनिश्चय की कार्यवाही को पूर्ण होने संबंध कलेक्टर, जिला शहडोल का प्रमाण–पत्र संलग्न किया है।

(6) आवेदित क्षेत्र को पटवारी मानचित्र मे दर्शायी गयी है, संलग्न है।

(7) आवेदक संस्थान मे क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि भुगतान करने का वचन पत्र दिया है।

(8) आवेदक संस्थान ने नेट प्रजेन्ट वैल्यू तथा भविष्य मे पुनरीक्षित होने पर अतिरिक्त राशि का भुगतान करने हेतु वचन पत्र दिया है।

(9) आवेदक द्वारा ऐतिहासिक/पुरातत्व धरोहर न होने का प्रमाण–पत्र दिया है संलग्न है।

वनमण्डलाधिकारी द्वारा आवेदित क्षेत्र के संबंध में दी गयी जानकारी संबंधी संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

i. आवेदक संस्थान द्वारा वनभूमि मे कोई अवैध कार्य नही किया है।

ii. आवेदित वनक्षेत्र मे ऐतिहासिक/धार्मिक महत्व का क्षेत्र नही है।

iii. आवेदित क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र का भाग नही है और न ही इसके 10 कि.मी. मे कोई संरक्षित क्षेत्र स्थिति है।

iv. वनमण्डलाधिकारी दक्षिण शहडोल ने आवेदित वनभूमि न्यूनतम वनक्षेत्र होने का प्रमाण–पत्र संलग्न है।

v. आवेदित क्षेत्र बिगडे वनों के सुधार कार्यवृत्त वनक्षेत्र है वर्तमान मे साइट की गुणवत्ता श्रेणी IVB है।

vi. आवेदित वनभूमि मे गणना अनुसार 540 वृक्ष विभिन्न प्रजाति व गोलाई के खड़े पाये गये। विदोहन करने पर 55.446 घनमीटर इमारती 56 चट्ठा जलाऊ वनोपज प्राप्त होने का अनुमान है।

vii. वनमण्डलाधिकारी दक्षिण वनमण्डल शहडोल स्थल निरीक्षण दिनांक 17.11.2017 को किया गया।

viii. प्रस्तावित क्षेत्र मे वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नही किया गया है।

ix. प्रस्तावित वनक्षेत्र मे पूर्व से वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत श्रीमती श्यामा बाई/रामलाल बैगा 0.988 हे0 हक प्रमाण–पत्र दिया गया है। उनकी पात्रता अनुसार वितरित अधिकार पत्रों की भूमि का नियमानुसार मुआवजा दिये जाने हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा वचन पत्र दिया है।

वनमण्डलाधिकारी दक्षिण वनमण्डल शहडोल ने 3.077 हे0 वनभूमि मे व्यपवर्तन हेतु अनुशंसा की है। प्रस्ताव आगामी कार्यवाही हेतु 03 प्रतियों में अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार प्रस्ताव 03 प्रतियों मे।

मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल (म.प्र.)
AK Joshi 7/2/18

पृ.क्रमांक/मा.चि./2018/ शहडोल, दिनांक ....../......../2018

प्रतिलिपि :–

(1) वनमण्डलाधिकारी दक्षिण शहडोल को संदर्भित पत्र के संबंध मे सूचनार्थ।

(2) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शहडोल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल (म.प्र.)

भाग - III
संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

14	स्थल जहॉ की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं।
15	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत हैं। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल दक्षिण शहडोल ने 3.077 हे. वनभूमि दियापीपर जलाशय योजना हेतु व्यपवर्तन किये जाने की अनुशंसा की है। इस कार्यालय द्वारा भी अनुशंसा की जाती है।

तिथि : 7 /02/ 2018

स्थान : शहडोल (म.प्र.)

(ए.के.जोशी)
मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल (म०प्र०)